



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 05.10.2025

थाना कछवां व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ₹ 25-25 हजार के ईनामिया 02 शातिर अन्तर्जनपदीय लूटेरे पुलिस मुठभेड़ में तथा एक अन्य अभियुक्त (कुल 03 अभि.) गिरफ्तार, अवैध तमंचा, कारतूस, मोटर साइकिल व लूट का ₹ 35 हजार बरामद —

थाना कछवां, जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 29.09.2025 को वादी हूबलाल मौर्या पुत्र स्व0 बचऊ निवासी गोधना थाना कछवां जनपद मीरजापुर द्वारा तहरीर दी गयी कि झोले में पैसा लेकर अपनी पत्नी के साथ जा रहा था कि मझवां पानी टंकी के पास अज्ञात मोटर साइकिल सवार अभियुक्तों द्वारा झप्पटा मारकर झोला छिनकर भाग गये। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-171/2025 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

‘सोमेन बर्मा’ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित सभी अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में 05 टीमों का गठन किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कछवां पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धारा 309(4), 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर धारा 304 बीएनएस का लोप किया गया। आज दिनांक 05.10.2025 को थाना कछवां पुलिस व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबीर के सुचना के आधार पर प्रकाश में आये 01 अभियुक्त सोहन प्रसाद खानी पुत्र धरीक्षण प्रसाद निवासी चौबेपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में थाना कछवां व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित ₹ 25-25 हजार के ईनामियां 02 अभियुक्तों 1. रामजन्म यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी परानापुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी व 2. सुनील यादव उर्फ रिकु यादव पुत्र बसन्तलाल यादव निवासी चौरभरवा पचोखर थाना बबुरी जनपद चन्दौली को थाना कछवां क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरैनी में जगतानन्द आश्रम के पास पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया परन्तु पुलिस टीम द्वारा सिखलाये हुए तरीके से आत्मरक्षार्थ सीमित जवाबी कार्यवाही में दोनों अभियुक्तों रामजन्म व सुनील यादव उपरोक्त के पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों क्रमशः रामजन्म व सुनील यादव को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु कछवां सीएचसी भिजवाया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त 02 अदद अवैध तमंचा, 01 अदद जिन्दा, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल अपाचे (BR 03 J 1168), पल्सर (UP 65 BV 7204) व लुट का ₹ 35 हजार बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ व गिरफ्तारी बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कछवां पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. सोहन प्रसाद खानी पुत्र धरीक्षण प्रसाद निवासी चौबेपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।

नाम पता पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त —

1. रामजन्म यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी परानापुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।

2. सुनील यादव उर्फ रिकु यादव पुत्र बसन्तलाल यादव निवासी चौरभरवा पचोखर थाना बबुरी जनपद चन्दौली ।
पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-171/2025 धारा 309(4),317(2) बीएनएस थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।

अपराधिक इतिहास —

अभियुक्त सोनह प्रसाद रवानी-

मु0अ0सं0-235/2004 धारा 392,411 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0-1205/2012 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 216/2012 धारा 392,411 भादवि थाना जमानिया जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0-472/2012 धारा 356,379,411,419,468,471 भादवि थाना सुहवल जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0-700/2012 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0-300/2012 धारा 392,411 भादवि थाना सादात जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0-114/2012 धारा 392 भादवि थाना चन्दौली जनपद चन्दौली ।

मु0अ0सं0-659/2016 धारा 323/427/452/506/506 भादवि थाना सिगरा जनपद वाराणसी ।

मु0अ0सं0-223/2017 धारा 323/504/506 भादवि थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी ।

मु0अ0सं0-223/2017 धारा 323/504/506 भादवि थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी ।

मु0अ0सं0-464/2021 धारा 323/324/336/354 भादवि थाना सिगरा जनपद वाराणसी ।

मु0अ0सं0-180/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी ।

अभियुक्त रामजन्म यादव-

मु0अ0सं0- 641/2006 धारा 379, 379, 411 भादवि थाना जमानिया जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 386/2008 धारा 379 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 908/2009 थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर ।

मु0अ0सं0- 1287/2009 धारा 356/379/411 भादवि थाना कोतवाली चुनार जनपद मीरजापुर ।

मु0अ0सं0-1205/2012 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 300/2012 धारा 392, 392, 411 भादवि थाना सादात जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 96/2012 धारा 392 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ ।

मु0अ0सं0- 96/2012 धारा 356/379 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

मु0अ0सं0- 596/2017 धारा 379 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 695/2017 धारा 392, 411 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 718/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 1104/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 41/2017 धारा 356, 392 भादवि थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर ।

मु0अ0सं0- 120/2017 धारा 392 भादवि थाना चुनार जनपद मीरजापुर ।

मु0अ0सं0- 526/2017 धारा 380, 41, 411, 457 भादवि थाना लोहता जनपद वाराणसी ।

मु0अ0सं0- 181/2017 धारा 392 भादवि थाना मुगल सराय जनपद चन्दौली ।

मु0अ0सं0- 227/2018 धारा 307 भादवि थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी ।

मु0अ0सं0- 37/2018 धारा 392, 411 भादवि थाना रोहनिया जनपद वाराणसी ।

मु0अ0सं0- 22/2019 धारा 356 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ।

मु0अ0सं0- 236/2023 धारा 392, 411 भादवि थाना वरुणा जनपद वाराणसी ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक अमरजीत चौहान मय पुलिस टीम थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।

निरीक्षक राजीव सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम ।

उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम ।


